भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2522

04.08.2025 को उत्तर के लिए

पुणे में गाडगिल रिपोर्ट का कार्यान्वयन

2522. डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुणे जिले में, विशेष रूप से पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील तालुका जुन्नार, अम्बेगांव और मावल में, गाडगिल रिपोर्ट की सिफारिशों के लागू करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्र में जैव विविधता के संरक्षण और तेंदुए तथा विशाल गिलहरियों (शेखर) जैसी वन्यजीव प्रजातियों की सुरक्षा के लिए की गई विशिष्ट कार्रवाइयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन क्षेत्रों में चल रही और प्रस्तावित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से संबंधित कोई पर्यावरणीय प्रभाव आकलन या अध्ययन कराया है या शुरू किया है;

(घ) क्या इन तालुकाओं में पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखते हुए सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय किये गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो पुणे जिले में गाडगिल रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने में देरी या निष्क्रियता के क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ङ) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्रो. माधव गाडगिल की अध्यक्षता में पश्चिमी घाट के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान हेतु पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल का गठन किया था। गाडगिल रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद इस रिपोर्ट की समग्र समीक्षा हेतु डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक अन्य समिति अर्थात् उच्च-स्तरीय कार्य समूह का गठन किया गया था। तत्पश्चात मंत्रालय ने पश्चिमी घाट के संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु मंत्रालय ने दिनांक 10.03.2014 को पश्चिमी घाट को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए एक मसौदा अधिसूचना जारी की। पूर्ववर्ती मसौदा अधिसूचनाओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण छह राज्यों अर्थात गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में फैले 56,825.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को शामिल करते हुए दिनांक 31.07.2024 के का.आ. 3060(अ) के तहत अद्यतन अधिसूचना जारी की। मंत्रालय को इस मसौदा अधिसूचना पर विभिन्न हितधारकों से टिप्पणियाँ/आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए हैं और इस मामले पर टिप्पणियाँ/सुझाव प्रदान करने के लिए इन्हें संबंधित राज्य सरकारों को अग्रेषित कर दिया गया है।

महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्र में वन्यजीव प्रजातियों सहित जैव विविधता की रक्षा के लिए राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के माध्यम से 2,795.64 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को संरक्षण में लिया गया है। पश्चिमी घाट के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की मसौदा अधिसूचना पर संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों के समाधान के लिए मंत्रालय ने पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण पहलुओं और क्षेत्र के अधिकारों, विशेषाधिकारों, आवश्यकताओं और विकास आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए छह राज्यों के सुझावों की समग्र रूप से जाँच करने के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति द्वारा महाराष्ट्र सहित राज्य सरकारों की चिंताओं/सुझावों पर संबंधित राज्य सरकारों की मेरिट के आधार पर मसौदा अधिसूचना को अंतिम रूप देने के लिए उनके साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है।

*****